नम्बर
अहलकार
इन्द्राज
की
जारी हुए

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

## (पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 74/2019 अन्तर्गत धारा 53 व 188 RT Act.

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| जोगाराम वल्द नैनाराम, कौम जाट, साकिन जोरानाडा, तहसील शिव जिला बाडमेर | | 1. बाबूराम पि. सुरताराम,<br>2. दुर्गाराम पि. सुरताराम जातियान जाट साकिन जोरानाडा, तहसील शिव जिला बाडमेर।<br>3. श्रीमति फुदीदेवी पत्नी पाबुराम जाति कुमावत, निवासी नया नागडदा तहसील शिव, जिला बाडमेर।<br>4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक शिव।<br>5. श्रीमति केसीदेवी पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी हकीम की बस्ती तहसील शिव, जिला बाडमेर। |

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3.1 :– श्री देवीलाल कुमावत।

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक : 20.06.2025**

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त वाद में वादी वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार का खातेदारी भूमि में हक हिस्सा निहित होने से भूमि का विभाजन किया जाना उचित होने से उक्त स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल शिव के ग्राम जोरानाडा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1002/742 रकबा 52.00 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

| क्र. सं. | नाम खातेदार | राजस्व ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोगाराम वल्द नैनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार | जोरानाडा | 1002/742 | 6.10 | बा.दो. | 0.59 | गुलाबी |
| 2 | बाबूराम वल्द सुरताराम, बाबुराम, दुर्गाराम पि. सुरताराम कौम जाट सा. देह, श्रीमति फुदीदेवी पत्नी पाबुराम कौम कुमावत सा. नया नागडदा | जोरानाडा | 1002/742 | 45.10 | बा.दो. | 4.09 | सफेद |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:58:14 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव